प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

19 मई 2023

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना - वैध मुद्रा बने रहेंगे

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट नवंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे। मुख्यतया, ₹500 एवं ₹1000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट, जो तब संचलन में थे, के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से इन्हें जारी करने का निर्णय लिया गया था। संचलन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के उपलब्ध हो जाने से ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया। अतः वर्ष 2018-19 से ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया।

2. जारी किए गए ₹2000 मूल्यवर्ग का लगभग 89 प्रतिशत बैंकनोट 31 मार्च 2017 के पूर्व से संचलन में हैं एवं वे अपनी अनुमानित आयु सीमा, जो कि 4-5 वर्ष है, के अंत में हैं। 31 मार्च 2018 को इन नोटों की अधिकतम मात्रा ₹6.73 लाख करोड़ रुपये (संचलन में नोटों का 37.3 प्रतिशत) थी, जो 31 मार्च 2023 को घटकर ₹3.62 लाख करोड़ रुपये (जो संचलन में नोटों का 10.8 प्रतिशत) हो गयी है। यह भी देखा गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट लेन-देन के लिए आमतौर पर उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा, मुद्रा की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त कारणों से एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की 'स्वच्छ नोट नीति' को ध्यान में रखते हुए ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

4. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

5. यह भी उल्लेख है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में संचलन से नोटों को हटाने का कार्य किया था।

6. तदनुसार, जनसाधारण ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं/अथवा किसी भी बैंक शाखा पर अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया सामान्य रूप में ही रहेगी, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के और वर्तमान अनुदेशों तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन होगी।

7. परिचालनात्मक सुविधा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा बैंक शाखाओं के नियमित कार्यकलापों को बाधित किए बिना एक समय में ₹2000 मूल्यवर्ग के ₹20,000 तक की राशि को 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के लिए बदला जा सकता है।

8. इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए तथा जनसाधारण को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जमा करने/अथवा बदलने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु सभी बैंक ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जमा करने/अथवा बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। बैंकों को इस संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

9. ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को एक समय में ₹20,000 राशि तक बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 23 मई 2023 से उपलब्ध रहेगी जहां निर्गम विभाग[1] स्थित हैं।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे तत्काल प्रभाव से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद कर दें।

11. जनसाधारण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जमा करने/अथवा बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की समयावधि का उपयोग करें। जनसाधारण की सूचना और सुविधा के लिए इस संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/257

---

[1] अहमदाबाद, बंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनन्तपुरम।